कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के साथ-साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, जिसे 2011 के अधिनियम संख्या25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया, के अंतर्गत स्थापित बजट आकलनों, प्रकल्पित लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की ढांचागत रूप रेखा एवं महत्त्वपूर्ण प्राप्तियों का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश की वित्तीय संवीक्षा, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों के प्रचालन में कमियों तथा चयनित अनुदानों की संवीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय I

राज्य सरकार के वित्त

2011-12 के दौरान शून्य तक ले जाने तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखने हेतु अपेक्षित राजस्व घाटा लब्ध नहीं किया जा सका। राजस्व एवं राजकोषीय घाटा 2013-14 में क्रमशः ₹ 1,641 करोड़ एवं ₹ 4,011 करोड़ था जो 2014-15 में बढ़कर क्रमशः ₹ 1,944 करोड़ एवं ₹ 4,200 करोड़ हो गया जबकि प्राथमिक घाटा गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2014-15 में ₹ 179 करोड़ घट गया।

विगत पांच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में सरकारी निवेशों का औसतन प्रतिफल 3.81 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने उधारों पर 7.86 *प्रतिशत* के औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

जुलाई 2005 तथा मार्च 2015 के मध्य पूर्णता हेतु नियत दो विभागों की 13 परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण पड़ी थी (मार्च 2015)।

राज्य में सकल व्यय के समानुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के वर्ष 2011-12 व 2014-15 के व्यय से क्रमश: 2.92 व 3.06 *प्रतिशत* कम था।

राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता नहीं दी गई है क्योंकि सकल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशतता अनुपात 2011-12 में 11.17 व 2014-15 में 10.88 है जो विशेष श्रेणी राज्यों के 2011-12 के 14.02 तथा 2014-15 के 14.22 के औसत अनुपात से कम है।

13 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 38,192 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 *प्रतिशत* तथा राजस्व प्राप्तियों का 214 *प्रतिशत* थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2010-11 में 49.45 *प्रतिशत* से बढ़कर 2014-15 में 59.06 *प्रतिशत* हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमश: 13.48 *प्रतिशत* तथा 13.83 *प्रतिशत* ऋणमुक्ति पर सार्थक दबाव सहित परिपक्व राशि आगामी सात वर्षों की तुलना में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 9.53 *प्रतिशत* थी।

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत दर्ज ₹ 74.79 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 1,510.90 करोड़ की बचतों द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 1,585.69 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2009-14 वर्षों के ₹ 5,055.89 करोड़ के अतिरिक्त 2014-15 के ₹ 1,585.69 करोड़ के अधिक व्यय का राज्य विधान मण्डल द्वारा नियमन अपेक्षित है।

16 मामलों में वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1,648.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित) अभ्यर्पित किये गए थे। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के दृष्टान्त भी थे जिनके परिणामस्वरूप 54 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य/बचतें हुई।

बजट अनुदान को परहस्तगत होने से बचाने के लिए ₹ 58.79 करोड़ की राशि की निधियां आहृत की गई तथा सिविल जमाओं के अंतर्गत रखी गई। 6 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक)

में प्राप्त किया गया कुल ₹ 343.99 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि इन मामलों में मूल प्रावधान व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त थे।

अध्याय III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2015 तक ₹ 2,387.39 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 15,539 प्रयुक्ति प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार ने दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.70 लाख सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 47 मामलों को प्रतिवेदित किया जिन पर जून 2015 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 41 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

2014-15 के दौरान ₹ 2,680 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.02 *प्रतिशत*) तथा ₹ 878 करोड़ (कुल व्यय का 3.94 *प्रतिशत*) राशि की प्राप्तियां 2014-15 के दौरान बहुप्रयोजन लघु-शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई थी जिसने राज्य के लेखाओं को उस सीमा तक अपारदर्शी बना दिया।